



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

:: अधिसूचना ::

क्रमांक : 1063/अका./स.स./2005

रायपुर, दिनांक 10.05.2005

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय समन्वय समिति की दिनांक 01.07.2004 को सम्पन्न आठवीं बैठक में भाग-क (सामान्य) एवं भाग-ख (परिनियम एवं अध्यादेश) में निम्नानुसार निर्णय लिये गये :-

विषय क्रमांक 3 -

पारिश्रमिक राशि की निर्धारित अधिकतम सीमा में वृद्धि बाबत

समन्वय समिति की दिनांक 24.04.2003 में लिये गये निर्णयानुसार पारिश्रमिक राशि में वृद्धि की गई है। पारिश्रमिक दरों को संशोधन कर वृद्धि के फलस्वरूप अधिकतम पारिश्रमिक की सीमा वृद्धि होना स्वाभाविक था, परन्तु यह सीमा यथावत अर्थात् 10,000/- रुपये ही रही। अतः पारिश्रमिक दरों में की गई वृद्धि को देखते हुए पूर्व निर्धारित सीमा 10,000/- से बढ़ाकर 16,000/- करने के प्रस्ताव को समन्वय समिति ने अनुमोदित कर दिया है।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

क्रमांक : 1064/अका./स.स./2005

रायपुर, दिनांक : 10.05.2005

प्रतिलिपि :-

1. प्राचार्य, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय।
 2. अध्यक्ष, समस्त अध्ययन शाला,
 3. उप कुलसचिव, परीक्षा/परीक्षा सेमेस्टर/गोपनीय,
 4. वित्ताधिकारी/ आवासीय अंकेक्षण विभाग,
 5. कुलपति के सचिव/ कुलसचिव के निजी सहायक,
- पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ अग्रेषित।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)